

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा

(पीठसीन अधिकारी प्रशासन गांव के संग/कैम्प कोर्ट 2021)

पीठसीन अधिकारी :- श्रीमती शकुन्तला चौधरी आर0ए0एस0

उनवान

बनाम

सुल्तान आदि

मुधराम आदि

दावा बाबत :- 8.8 RTA Act

मुकदमा नम्बर :- 222/2021

निर्णय दिनांक :- 21-10-2021

वादी की ओर से वकील लीलाधर अग्रवाल की व प्रतिवादी सं० 1/9.2 की ओर से वकील जैरेन्द्र की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 21-10-2021 को मुझ शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि

रौही भोजारखी के खाता सं० 6/58 के खसरा सं० 37/1 की 6.165 हे० व खसरा सं० 27/39 की 0.392 हे० कुल 6.557 हे० कारनी खातेदारी प्रतिवादी सं० के नाम राजसूख रिकार्ड में खातेदारी दर्ज है में से अकेले प्रतिवादी सं० के बाजार वादीगण सं० सुल्तान व वादीगण सं० आदराम व प्रतिवादी सं० मुधराम के क्विडिस्सा करार के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है मुक्ति प्रतिवादी सं० ने अपना सम्पूर्ण हक व हिस्सा वादीगण व प्रतिवादी सं० के नाम पर में दूजांग कर मुन्ध कर किया है इसलिए ल्यांग लिफे गप हिस्से पर पंजीन विभागा का दथ पंजीन अटक एवं दराग उमुदी अदि करेनु व यदि कसि मुक्ति वक हु रूख हो तो रदन मुक्त हुन के उपरान्त ही राजसूख रिकार्ड में अकेल धारमदी किया जाव।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह पर्वा डिक्री आज दिनांक 21-10-2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(शकुन्तला चौधरी)  
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा  
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) (पीठसीन कोर्ट 2021)  
भादरा, जिला इन्दौर  
शकुन्तला